



2026:AHC:175455

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -

8524 सन् 2026

कौशल राणा

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 1 अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) की ओर से अधिवक्ता : विकास त्रिपाठी

विपक्षी(गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 50 सन् 2026, धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता (भा.न्या.सं.), थाना जारचा, जनपद गौतम बुद्ध नगर में, उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त मुकदमे में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक को प्रस्तुत प्रकरण में मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है। कुल मिलाकर, आवेदक को सह-अभियुक्ता श्रीमती खुशबू देवी द्वारा सूचनाकर्ता के पक्ष में निष्पादित विक्रय-विलेखों से संबंधित छह प्रकरणों में आलिप्त किया गया है। विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदक न तो विवादित विक्रय-विलेखों का साक्षी है और न ही किसी प्रकार से उनमें संलिप्त है। नामित सह-अभियुक्तगण रमेश कुमार, श्रीमती ममता कुमारी एवं श्रीमती प्रवीणा राणा को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 भा.ना.सु.सं. संख्या 5337 सन् 2026, 7288 सन् 2026 तथा 7328 सन् 2026 में क्रमशः अग्रिम जमानत प्रदान की गई है। आवेदक का प्रकरण

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समान आधार पर है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि आवेदक का पांच अन्य प्रकरणों का आपराधिक इतिहास है; तथापि, वह पूर्व दोषसिद्ध नहीं है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है, तथापि आवेदक द्वारा अपने आपराधिक पूर्ववृत्त के संबंध में दिए गए स्पष्टीकरण को विवादित नहीं किया है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा किए गए निवेदनों पर विचार किया तथा अभिलेख पर लाई गई सामग्री का परिशीलन किया।

6. समान स्थिति वाले सह-अभियुक्तगण रमेश कुमार, श्रीमती ममता कुमारी एवं श्रीमती प्रवीणा राणा को इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की गई है। आवेदक के प्रकरण पर भी अपराध संख्या 53 सन् 2026 एवं 51 सन् 2026 में आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 भा.ना.सु.सं. संख्या 8402 सन् 2026 एवं 8396 सन् 2026 में क्रमशः अग्रिम जमानत हेतु विचार किया गया है।

7. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु प्रथम दृष्टया प्रकरण बनता है।

8. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

9. आवेदक **कौशल राणा** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उक्त मुकदमा अपराध में संबंधित थाने के थानाध्यक्ष/न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अविलंब अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

- i. आवेदक पुलिस अधिकारी द्वारा जब-जब अपेक्षित हो, पूछताछ हेतु स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
- ii. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को, उसे न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का प्रकटन करने से विरत करने हेतु, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा;
- iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
- iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. उपर्युक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन की स्थिति में संबंधित न्यायालय को जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त अवलोकन मात्र प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु हैं तथा उन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत नहीं माना जाएगा।

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

19 अगस्त, 2026

प्रशांत डी.

Translated Version, Not For Legal Use.